

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
बमुकद में ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां सहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

ठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

करण संख्या :- 398/2023

दि पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

नक्षत्र सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह जाति जटसिख नि.भाई बख्तावरवाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।

बनाम

वादी

1. अंग्रेज कौर पत्नी नक्षत्र सिंह जाति जटसिख नि.भाई बख्तावरवाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. अजायब सिंह पुत्र मुख्तयार सिंह जाति कुम्हार नि.भाई बख्तावरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. अमनदीप सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति जटसिख नि.भाई बख्तावरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. कमलप्रीत पुत्री नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी भाई बख्तावरवाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
5. कुलविन्द्र सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख नि.भाई बख्तावरवाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
6. गुरदेव सिंह पुत्र गेन्दा सिंह जाति जटसिख निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
7. गुरदीप सिंह पुत्र जगर सिंह जाति जटसिख निवासी भाई बख्तावरवाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
8. जंगीर सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जटसिख निवासी भाई बख्तावरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
9. जसपाल कौर पत्नी गुरचरण सिंह जाति जटसिख नि. भाई बख्तावरवाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
10. नक्षत्र सिंह पुत्र सुखचैन सिंह जाति जटसिख निवासी भाई बख्तावरवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
11. निर्मल सिंह पुत्र पाला सिंह जाति जटसिख निवासी भाई बख्तावरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
12. पाला सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जटसिख निवासी भाई बख्तावरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
13. सुरेन्द्र सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी भाई बख्तावरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
14. हरनेक सिंह पुत्र गेन्दा सिंह जाति जटसिख निवासी भाई बख्तावरवाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
15. हरविन्द्र सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी भाई बख्तावरवाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
16. तहसीलदार राजस्व संगरिया
17. शाखा प्रबंधक एचडीएफसी बैंक संगरिया।

प्रतिवादीगण

दिनांक :- 13.4.2024

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई

कृष्ण कुमार बहाजरी श्री सुशील कुमार वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री .....जानिब मुदायला पेश  
होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री  
निम्नानुसार दी जाती है:- चक 4 डीएलपी

1. जगदीश कुमार, कृष्ण कुमार पुत्रगण देवीलाल बहिब जाति जाट सा.लीलावाली

प.न.	मु.न.	किला नम्बर
151/197	40	13,14,18,23/1.012, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/0.228, 16/0.025, 17, 24/0.506
151/198	47	3,8,14/0.759, 4,5,6,7/1.012
152/197	41	11/0.164

2. सुखप्रीत कौर पत्नी गुरनाम सिंह जाति जटसिख सा.बख्तावर सिंह वाली ढाणी

प.न.	मु.न.	किला नम्बर
152/197	41	8/0.253, 9/0.227,

महायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

नक्षत्र सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह जाति जटसिख सा.बख्तावर सिंह वाली ढाणी

प.न.	मु.न.	किला नम्बर
152/197	41	12,13/0.506, 18,19,20/0.759

अमनदीप सिंह पुत्र जगीर सिंह, पालसिंह पुत्र भाग सिंह बहिब जाति जटसिख सा.बख्तावरसिंहवाली ढाणी

प.न.	मु.न.	किला नम्बर
152/197	41	9/0.026, 10/0.253, 11/0.089

अपोजकौर (फौत) पत्नी नक्षत्र सिंह, कमलप्रीत कौर पुत्री नक्षत्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह हि 1/2

बहिब जाति जटसिख सा.बख्तावरसिंहवाली ढाणी, गुरदेव सिंह, हरनेक सिंह पुत्रगण गन्डा सिंह हि 1/2

बहिब जाति जटसिख सा.नाथवाना


प.न.	मु.न.	किला नम्बर
152/194	7	13/0.114, 14/0.202, 17, 18/0.506

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है कि भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/90 दिनांक 12.01.2026 द्वारा विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- तहसीलदार संगरिया ने विभाजन प्रस्ताव में मृतक पक्षकारों के वारिसानों का कब्जा काश्त होना बताया है इसलिए मृतक के वारिसानों की नियमानुसार जांच कर जांच उपरान्त उनके वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज......मुब्लिक......बाबत......खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक......को अदा करे।

बसब मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...13.4.2026...को खुले न्यायालय में जारी किया गया।



(जय कौशिक)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी,  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया